

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

:: आदेश ::

श्री सॉवलदान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा (नागौर) जिनकी जन्मतिथि 15.05.57 एवं राज्य सेवा में नियुक्ति तिथि 27.09.79 हैं, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 08.08.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। श्री सॉवलदान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा (नागौर) राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की योग्य सेवा दोनों ही शर्तें पूर्ण करते हैं।

अतः श्री सॉवलदान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा (नागौर) को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 08.08.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 3-6-16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-7/सॉवलदान/15-16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, अजमेर।
- 2- उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर।
- 3- उपनिदेशक (माध्यमिक) अजमेर।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-द्वितीय) नागौर।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा (नागौर)
- 5- अनुभाग अधिकारी विभागीय जाँच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु।
- 7- श्री सॉवलदान प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा (नागौर)।
- 8- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर